

सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय

राष्ट्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल- mocf.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/27/2015/एफ.सी.1170 दिनांक 06/09/2018



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, I
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CE
ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-2
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- mocf.ddn@gov.in

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद - पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गस्कू जिमाफी-कुरीला
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.035 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी - 408/FP/UK/ROAD/9654/2015 दिनांक 06.08.
2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है
है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही
सुनिश्चित की जा सके:-

1. राज्य सरकार 55,43,369/- रुपये की संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना (CA scheme) की
मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी तथा इसे ऑनलाईन वेब पोर्टल पर भी अपलोड करेगी।
2. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार Strip plantation की वचनबद्धता (undertakings) की मूल प्रति इस
कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

01/

भवदीय.

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।
2. आदेश पत्रावली।

01/

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

डाफ्ट 26/04/23 - एफ-4-2730

कार्यालय
अधिकासी अभियंता
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य
पी०आई०यू० मुंस्यारी

क : 012/448/22-23/358

दिनांक 25-04-2023

वा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गस्कू जिमाफी- कुरीला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.035 हे० वनभूमि का ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- 08बी/यू०सी०पी०/06/27/2015/एफ०सी०/1170 दिनांक 06.09.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि उक्त मोटर मार्ग में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, वन अनुसंधान संस्थान परिसर, देहरादून के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/06/27/2015/एफ०सी०/2472 दिनांक 25/02/2016 के द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। संदर्भित पत्रांक द्वारा मांगी गयी अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है :-

1	राज्य सरकार 55,43,369/- रुपये की क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना (CA scheme) की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी तथा इसे ऑनलाइन वेब पोर्टल पर भी अपलोड करेगी।	यह प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार 49,74,523/- रुपये की क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना (CA scheme) की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करेगी तथा इसे ऑनलाइन वेब पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। संलग्नक- 1
2	इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की वचन बद्धता की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें	वचन बद्धता की मूल प्रति संलग्न है संलग्नक- 2
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में की गयी बढ़ोतरी के अनुसार अतिरिक्त धनराशि 8104489.00/- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी गयी है। संलग्नक- 3, 4

अतः उपरोक्तानुसार उक्त आख्या अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को भेजने की कृपा करें।



कु० आ० जी० का०
व० अ०

भवदीय
अधिकासी अभियंता
पी०एम०जीएसवाई० कार्य
पी०आई०यू० मुंस्यारी

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन

परियोजना विवरण:- जनपद पिथौरागढ़ में पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत गस्कू से जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर रोड (22.7 किमी0) का नव निर्माण।

परियोजना हेतु हस्तांतरित कुल वन भूमि का क्षेत्र- 12.035 हे०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल- 24.070 हे०

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- रांथी

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 2000

क्रम सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	प्रति	घनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	है०	97	है०	97
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान)	0.6	है०	584	है०	350.4
3	लैंटाना/काला बांसा/गाजर घास					
अ	लैंटाना काला बांसा/गाजर घास को जड़ से	0.4	है०	5647	है०	2258.8
ब	लैंटाना काला बांसा/गाजर घास को क्षेत्र के बाहर नष्ट करना	0.4	है०	1882	है०	752.8
4	जल संरक्षण कार्य	1	है०	7750	है०	7750
5	कंटूर फर्रे खुदान (600 र०मी० प्रति हे०)	600	र०मी०	7.33	प्रति है०	4398
6	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेन्सिंग) 84घन मी० प्र०है०	80	घन मी०	315	प्रति घन मी०	25200
7	गड्ढे खुदान (0.30X0.30X0.45)	2000	है०	7.33	है०	14660
8	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है०	485	है०	485
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) (10 % अतिरिक्त)	2200	है०	5.9	है०	12980
10	रोपण क्षेत्र में प्रवेश हेतु दो तरफा सीढ़ी	1	संख्या	662	प्रति सीढ़ी	662
11	अन्यव्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना व वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गड्ढे खोदना	1	है०	400	है०	400
	योग प्रथम चरण					69994

द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गड्ढे भरान का कार्य (0.30X0.30X0.45)	2000	गड्ढे	1.15	गड्ढे	2300
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) कुल व्यय का 10 प्रतिशत अतिरिक्त	2200	पौध	1.15	पौध	2530
3	पौध डुलान कार्य	2200	पौध	6.39	पौध	14058

4	पंधारोपण व थालबन्दी	2000	गड्डे	2.06	गड्डे	4120
5	कंटूर फर्रे में बीज बुवाई	600	र मी०	0.69	मी०	414
6	निराई गुडाई व मल्लिंग (दो बार) (@0.76X2)	2000	गड्डे	1.52	गड्डे	3040
7	खाद व दवा पर व्यय	2000	है०	0.21	है०	420
8	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देखरेख व रखरखाव पर व्यय	1	है०	5960	है०	5960
10	1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2- सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	3- वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में 2-3 बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूटेशन आदि कार्य।	1	है०	700	है०	700
	योग द्वितीय चरण					34517

तृतीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310

	कन्दूर फर्रे खुदान जल संरक्षण हेतु	600	र०मी०	7.33		4398
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	35	घन मी०	197	प्रति घनमी०	6895
	योग तृतीय चरण					19330

चतुर्थ चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310
3	वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण	4	संख्या	3000		12000
	योग चतुर्थ चरण					20037

पंचम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310
3	कन्दूर फर्रे खुदान जल संरक्षण हेतु	600	र०मी०	7.33	मी०	4398
	योग पंचम चरण					12435

षष्ठम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310
3	वानस्पतिक चैक डेम निर्माण कार्य	4	संख्या	3000		12000
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	30	घन मी०	197	प्रति घनमी०	5910
	योग षष्ठम चरण					25947

सप्तम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310
3	वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण	3	संख्या	3000		9000
	योग सप्तम चरण					17037

अष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	35	घन मी०	197	प्रति घनमी०	6895
	योग अष्टम चरण					14932

नवम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	310	है०	310
	योग नवम् चरण					8037

दशम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	7152	है०	7152
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350

2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले प्राणीओं को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	310	है0	310
योग दशम चरण					8037
कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण)					230303
					या 2,30,302/-

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है0

= 230302.00 रु0

योजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल

= 24.070 है0

क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु कुल धनराशि 24.070 है0 X 230302 = 55,43,369.14

या 55,43,369.00

प्रमाणित सहायिका,
विधायक, जन प्रभाग, विधायक।

स्ट्रीट प्लान्टेशन का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गस्कू-जिमाफी(जयकोट) से कुरीला मोटर मार्ग (12.035 हे०) में पथ वृक्षारोपण की धनराशि भारत सरकार/राज्य सरकार के द्वारा मांग किये जाने पर विभाग/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा कर दी जायेगी।


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड,
लो०नि०वि० धारचूला

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक:- 417 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 25 जुलाई, 2022।

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एम0वाई0 रूड्स, धारचूल्वा,
पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ गसकू से जिमाफी (जयकोट) कुरीला मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की नवीन संशोधित दर के अनुसार धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0- FP/UK/ROAD/9654/2015)।

संदर्भ :- भारत सरकार की पत्र सं0 5-3/2011-FC दिनांक 06.01.2022।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा एन0पी0वी0 के दरों में संशोधन किये जाने के क्रम में एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार संशोधित धनराशि जमा की जानी अनिवार्य है। अतः उक्त के क्रम में एन0पी0वी0 की नवीन दरों के अनुसार संशोधित डिमान्ड नोट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	कुल धनराशि	पूर्व में जमा धनराशि	जमा किये जाने योग्य शेष धनराशि
1	एन0पी0वी0	12.035 हे0	1372410/- (ईको क्लास-VI) घनत्व 0.4	16516954.35/-	8412465/-	8104489.35/- या 8104489.00/-

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर भारत सरकार के सन्दर्भित आदेश के क्रम में शेष धनराशि नियमानुसार कैम्पा कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 14-09-2022

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6196540634
State Code.	UK
Address.	E.E. PMGSY P.W.D DHARCHULA, Pithoragarh
Amount(in Rs)	8104489/-

Amount in Words : Eighty-One Lakh Four Thousand Four
Hundred and Eighty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6196540634
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 14-09-2022

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6196540634
State Code.	UK
Address:	E.E. PMGSY P.W.D DHARCHULA, Pithoragarh
Amount(in Rs)	8104489/-

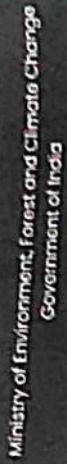
Amount in Words : Eighty-One Lakh Four Thousand Four
Hundred and Eighty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6196540634
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: ubicampa@unionbankofindia.com



Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

PARIVESH
परिवेश

Journal of Interpersonal Violence 28(10)

My Proposals Will/Is Clearance - Help

Online payment history made by User Agency under CAMPA

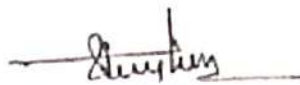
2

Sl. No.	Applicant's Name	Date of Birth	Application No.	Date of Application	Amount to be Paid / Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Details	Remarks
1	M. S. Srinivas Reddy	08-09-1975	RQ4076542014629	18 Dec 2015	CA : PCN : Safety Zone : NPV : Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	: 13 Sep 2022 : Union Bank Of India : NEFT/RTGS (Challan) : 14 Sep 2022 : 21 Sep 2022
2	M. S. Srinivas Reddy	08-09-1975	RQ4076542014634	25 Feb 2016	CA : PCN : Safety Zone : NPV : Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	: 13 Sep 2022 : Union Bank Of India : NEFT/RTGS (Challan) : 14 Sep 2022 : 21 Sep 2022
3	M. S. Srinivas Reddy	08-09-1975	RQ4076542014630	15 Apr 2016	CA : PCN : Safety Zone : NPV : Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	: 13 Sep 2022 : Union Bank Of India : NEFT/RTGS (Challan) : 14 Sep 2022 : 21 Sep 2022
4	M. S. Srinivas Reddy	08-09-1975	RQ4076542014637	05 Sep 2020	CA : PCN : Safety Zone : NPV : Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	: 23 May 2023 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challan) : 17 Dec 2020 : 25 Jan 2021
5	M. S. Srinivas Reddy	08-09-1975	RQ4076542014634	15 Jan 2018	CA : PCN : Safety Zone : NPV : Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	: 25 Feb 2018 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challan) : 07 Mar 2018 : 31 Mar 2018
6	M. S. Srinivas Reddy	08-09-1975	RQ4076542014630	04 Jan 2018	CA : PCN : Safety Zone : NPV : Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name	: 20 Feb 2018 : Corporation Bank

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मसकू से जिमाफी (जयकोट) कुशीला मोटर मार्ग (22.700 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में गा० उच्चतम न्यायालय/न्याय सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग की मांग के अनुरार किया जायेगा।



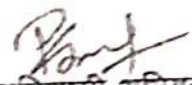
कनिष्ठ अभियन्ता

पी०एन०जी०एस०आई०, सिवई खण्ड,
पिथौरागढ़



सहायक अभियन्ता

पी०एन०जी०एस०आई०, सिवई खण्ड,
पिथौरागढ़



अधिसाक्षी अभियन्ता

पी०एन०जी०एस०आई०, सिवई खण्ड,
पिथौरागढ़